

कार्यालय

पुलिस

अधीक्षक

जनपद

गाजीपुर ।

पत्रसंख्या-

सो0मी0-

स0कार्य-03/2024

दिनांक 13/03//2024

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

अपने पत्र संख्या:वीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांक:जून 04,2020 व पत्र संख्या:41/6-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 12.03.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01- थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा मु0नं0 870/20 धारा 138 एन0आई0 एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वारण्टी की सफल गिरफ्तारी की गई ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद के निकट पर्यवेक्षण में थाना मुहम्मदाबाद द्वारा दिनांक 11.03.2024 को उ0नि0 अनिल कुमार पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुखबीर खास की सूचना पर मा0 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष सं0 7 इलाहाबाद के मु0नं0 870/20 परवेज आलम बनाम अमन खां आदि अन्तर्गत धारा 138 एन0आई0 एक्ट थाना करेली जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित वारण्टी अफरोज आलम पुत्र जलालुउद्दीन निवासी भटटी मुहल्ला कस्बा व थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर उम्र करीब 58 वर्ष को नगर पालिका मु0बाद के पीछे विवेकानन्द कालोनी के पास से समय करीब 21.50 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। दौराने गिरफ्तारी मानवाधिकार के नियमों व मा0 उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। गिरफ्तार वारण्टी उपरोक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी का नाम व पता –

1. अफरोज आलम पुत्र जलालुउद्दीन निवासी भट्टी मुहल्ला कस्बा व थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर उम्र करीब 58 वर्ष

02. गाजीपुर पुलिस द्वारा IS-191 आपराधिक गैंग के सरगना मुख्तार अंसारी गिरोह के सक्रिय सदस्य उसकी पत्नी आफसा अंसारी तथा उसके सगे साले अनवर शहजाद व सरजील उर्फ आतिफ रजा द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित धनराशि 17 लाख 65 हजार 120 रुपये को अंतर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986 कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गई।

शासन द्वारा चिन्हित अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 05.03.2024 को थानाध्यक्ष जंगीपुर जनपद गाजीपुर द्वारा प्रेषित आख्या पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय गाजीपुर द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय गाजीपुर द्वारा दिनांक 12.03.2024 को पारित कुर्की आदेश अंतर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत अभियुक्तगण आफसा अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी (IS-191 गैंग सरगना) नि0 दर्जी टोला थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर तथा अनवर शहजाद व सरजील उर्फ आतिफ रजा पुत्रगण जमशेद रजा नि0 सैय्यदबाड़ा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर के विरुद्ध थानाध्यक्ष जंगीपुर जनपद गाजीपुर द्वारा प्रेषित आख्या के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट महोदय गाजीपुर के आदेश दि0 12.03.2024 के अनुपालन में अभियुक्तगण द्वारा संचालित कम्पनी मेसर्स विकास कंसट्रक्शन फर्म के विभिन्न बैंक खातों से ट्रांसफर करके अपने रिश्तेदारों के विभिन्न बैंक खातों में संरक्षित 17 लाख 65 हजार 120 रुपये (1765120) को अंतर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गई।

कुर्क की गयी सम्पत्ति का विवरण-

अब्बास अंसारी व उमर अंसारी पुत्रगण मुख्तार अंसारी तथा मंसूर अहमद अंसारी के विभिन्न बैंक खातों में मौजूद कुल 1765120 रुपये।
अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

अनवर शाहजाद पुत्र जमशेद रजा नि0 सैय्यदबाड़ा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

1. मु0अ0सं0 724/2019 धारा 379, 447 भादवि थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर
2. मु0अ0सं0 725/2019 धारा 379, 447 भादवि थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर
3. मु0अ0सं0 227/2021 धारा 447 भादवि थाना नंदगंज जनपद गाजीपुर
4. मु0अ0सं0 272/2021 धारा 120बी, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि व 3/5 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधि0 थाना नंदगंज जनपद गाजीपुर
5. मु0अ0सं0 667/2020 धारा 2,3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर
6. मु0अ0सं0 236/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

सरजील उर्फ आतिफ रजा पुत्र जमशेद रजा नि0 सैय्यदबाड़ा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

1. मु0अ0सं0 724/2019 धारा 379, 447 भादवि थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर
2. मु0अ0सं0 725/2019 धारा 379, 447 भादवि थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर
3. मु0अ0सं0 227/2021 धारा 447 भादवि थाना नंदगंज जनपद गाजीपुर
4. मु0अ0सं0 272/2021 धारा 120बी, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि व 3/5 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधि0 थाना नंदगंज जनपद गाजीपुर

5. मु0अ0सं0 667/2020 धारा 2,3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर
6. मु0अ0सं0 236/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

03. थाना बिरनों पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 38/2024 धारा 363/366 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त की सफल गिरफ्तारी

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी कासिमाबाद के कुशल मार्गदर्शन में आज दिनांक 12.03.2024 को उ0नि0 श्री ओमप्रकाश यादव थाना बिरनों जनपद गाजीपुर मय हमराह पुलिस बल के मुखबिर खास द्वारा प्राप्त सूचना पर जयरामपुर चट्टी से मु0अ0सं0 38/2024 धारा 363/366 भादवि थाना बिरनों गाजीपुर से सम्बन्धित अभियुक्त राजहंस राम पुत्र जयप्रकाश राम निवासी ग्राम बिरनों थाना बिरनों जनपद गाजीपुर को गिरफ्तार कर विधिक प्रक्रिया में मा0न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. राजहंस राम पुत्र जयप्रकाश राम निवासी ग्राम बिरनों थाना बिरनों जनपद गाजीपुर।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान –

12.03.2024 समय 08.30 बजे, जयरामपुर चट्टी

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 38/2024 धारा 363/366 भादवि थाना बिरनों जनपद गाजीपुर।

04.थाना सैदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-29/2024 धारा 498A/304B भादवि व 3/4 डीपी एक्ट में वांछित 01 नफर अभियुक्त व 01

नफर अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सैदपुर के निकट पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक सैदपुर के कुशल निर्देशन में दिनांक 10.03.2024 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 029/2024 धारा 498A/304B भादवि व 3/4 डीपी से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.उमेश कुमार पुत्र रामजन्म 2. रवि कुमार पुत्र रामजन्म 3. लीलावती देवी पत्नी रवि कुमार 4. चम्पा देवी पत्नी रामजन्म निवासीगण ग्राम होलीपुर थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर मे दबिश पतारसी सुरागरसी से दिनांक 12.03.2024 को समय करीब 07.40 बजे 01 नफर अभियुक्त व 1 नफर अभियुक्ता 1.चम्पा देवी पत्नी स्व0 रामजनम निवासी ग्राम होलीपुर थाना सैदपुर गाजीपुर उम्र 55 वर्ष 2.उमेश राम पुत्र स्व0 रामजन्म राम निवासी ग्राम होलीपुर थाना सैदपुर गाजीपुर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यावाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का विवरण-

- 1.उमेश राम पुत्र स्व0 रामजन्म राम निवासी ग्राम होलीपुर थाना सैदपुर गाजीपुर उम्र 24 वर्ष
2. चम्पा देवी पत्नी स्व0 रामजनम निवासी ग्राम होलीपुर थाना सैदपुर गाजीपुर उम्र 55 वर्ष

05.थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा 01नफर वारण्टी को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 11.03.2024 को उ0नि0 अनिल कुमार पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुखबीर खास की सूचना पर मा0 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष सं0 7 इलाहाबाद के मु0नं0 870/20 परवेज आलम बनाम अमन खां आदि अन्तर्गत धारा 138 एन0आई0एक्ट थाना करैली जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित वारण्टी अफरोज आलम पुत्र जलालुद्दीन निवासी भटटी मुहल्ला कस्बा व थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर उम्र करीब 58 वर्ष को नगर पालिका मु0बाद के पीछे विवेकानन्द कालोनी के पास से समय करीब 21.50 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया गिरफ्तारशुदा वारण्टी के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी का नाम व पता –

1.अफरोज आलम पुत्र जलालुद्दीन निवासी भटटी मुहल्ला कस्बा व थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर उम्र करीब 58 वर्ष

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर